जिलाधिकारी शिविर कार्यालय, कानपुर नगर।

संख्या 3590/ओ0एस0डी0/कोविड–19/2020 दिनांक अप्रैल 16, 2020

आदेश

अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–268/2020–सीएक्स–3 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर–2(1) के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर किसी भी रूप में विशेष रूप से हाटस्पाट्स एवं बफर जोन में कोई भी किसी प्रकार की कोई दुकानें न खोली जाए। यदि जनपद स्तर पर दुकानों को खोले जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं, तो उन्हें निरस्त कर दिया जाए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

अतः तदनुपालन में जनपद में चिन्हित सभी हॉट–स्पॉट क्षेत्र की दुकानें बन्द रहने के जो आदेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं, उन्हें अवक्रमित करते हुए शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि हॉट–स्पॉट क्षेत्रों की सभी दुकानों के साथ–साथ बफर जोन में कोई भी किसी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि हॉट–स्पॉट तथा बफर जोन में कोई भी दुकान खुली पायी जाती हैं, तो इसके लिए सभी सम्बन्धित जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ–साथ अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए, तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2– आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3– डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5– सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर।
7– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
8– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
9– प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर नगर।
10– उप श्रमायुक्त/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कानपुर नगर
11– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कानपुर नगर।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।